न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2025 / 316

मुकदमा नम्बर 88 / 2025 — दायर दिनांक–06.06.2025

1. दुलीचन्द पुत्र केशुराम
2. प्रेम देवी पत्नी श्रवण
3. बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय केशुराम
4. राकेश पुत्र केशुराम
5. सांवरमल पुत्र कुरडाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेहरों की ढाणी तन कोलसिया,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

............आवेदकगण

बनाम

1. अनिल पुत्र दान सिंह
2. उम्मेद पुत्री दान सिंह
3. उर्मिला पुत्री दान सिंह
4. अंकित पुत्र महेश
5. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
6. जगदीश पुत्र भींवाराम
7. जगदीश पुत्र भागीरथ
8. जडाव देवी पत्नी स्व. अर्जुनराम
9. जयवीर पुत्र मोहर
10. झिमकोरी देवी पत्नी मोहन
11. देशराज पुत्र अर्जुनराम
12. दीक्षा पुत्री महेश
13. नेमीचन्द पुत्र श्रवण
14. नेमीचन्द पुत्र भींवाराम
15. नागर पुत्र देवाराम
16. प्रताप सिंह पुत्र भागीरथ
17. बनवारी पुत्र रामेश्वर
18. बलबीर पुत्र मोहन
19. बिमला पुत्री दान सिंह

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

20. बिमला पुत्री अर्जुनराम
21. बायेत सिंह पुत्र नारायण सिंह
22. मुन्नी देवी पत्नी महेश (प्रा. पत्र से नाम हजफ)
23. मनभरी पत्नी भींवाराम (प्रा. पत्र से नाम हजफ)
24. मनभरी पत्नी श्रवण
25. मूलचन्द पुत्र कजोड
26. महेन्द्र पुत्र हरलाल
27. महेश पुत्र श्रवण
28. महाबीर पुत्र दान सिंह
29. मोहनी पत्नी हरलाल
30. रूघवीर पुत्र भींवाराम
31. रणजीत पुत्र भींवाराम
32. राजकुमार पुत्र कजोड
33. राजमणी पत्नी दान सिंह
34. राजेश कुमार श्रवण
35. रामकुमार देवाराम
36. रामवतार पुत्र अर्जुनराम
37. लालचन्द पुत्र भागीरथ
38. विजेन्द्र पुत्र अर्जुनराम
39. शिशपाल पुत्र भींवाराम
40. शिशराम पुत्र श्रवण
41. सुमन पुत्री मोहन
42. सुरेन्द्र पुत्र हरलाल
43. सुरेश पुत्र अर्जुनराम
44. सरिता पुत्री अर्जुनराम, समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेहरों की ढाणी तन कोलसिया,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं
45. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नानसागेट नवलगढ तहसील नवलगढ
46. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ
47. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा बडवासी तहसील नवलगढ
48. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

वकील आवेदक—श्री सज्जन चाहर, श्री नेमीचन्द डूडी
अनावेदक सं. 5 लगा. 8,11,14,16,20,22,23,24,25,29,30,32,34 लगा. 40,42 लगा. 47,— एक पक्षीय
अनावेदक सं. 1 लगा.04,9,10,12,13,15,17 लगा. 19,21,26 लगा.28,31,33,41, — सुश्री मिनाक्षी एड.
अनावेदक सं. 48— पैरो. राज.

:—निर्णय—:

दिनांकः—29 / 09 / 2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया में स्थित भूमि खसरा नं. 89,90 में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार खसरा नं. 95 व 91 के बीचों बीच होकर खसरा नं. 89, 90 तक ए से बी बिन्दु तक 15 फीट चौडा व 500 मीटर लम्बा रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश किये जावे।

प्रा. पत्र में तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 5 लगा. 8,11,14,16,20,22,23,24,25,29,30,32,34 लगा. 40,42 लगा. 47 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक सं. 1 लगा.04,9,10,12,13,15,17 लगा. 19,21,26 लगा.28,31,33,41, जरिये वकील सुश्री मिनाक्षी एड. उपस्थित हो आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने मे सहमति व्यक्त की गई। अनावेदक सं. 48 की और से पैरो. राज उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक 186 दिनांक 31.07.2025 पेश की गई, जिसके अनुसार आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। खसरा नं. 89,90 तक पहुॅचने के लिये खसरा नं. 91 व 95 मे से प्रस्तावित रास्त नजदीक लगता है। खसरा नं. 95 में बिन्दू सं. एबीईएफ का क्षेत्रफल = 160 X 5 = 800 वर्ग मीटर, खसरा नं. 91 मे बिन्दु सं. बीसीडीई को क्षेत्रफल 86 X 5 = 430 वर्ग मीटर, रास्ते मे जाने वाली कुल भूमि 1230 वर्ग मीटर है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है तथा अपनी कृषि जोत मे आने जाने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम व लघुतम है जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नेहरों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया में स्थित भूमि खसरा नं. 89,90 में आने जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक 186 दिनांक 31.07.2025 तथा उसके साथ संलगन पटवारी रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 91 व 95 मे बिन्दू सं. एबीईएफ का क्षेत्रफल = 160 X 5 = 800 वर्ग मीटर, खसरा नं. 91 मे बिन्दु सं. बीसीडीई को क्षेत्रफल 86 X 5 = 430 वर्ग मीटर, रास्ते मे

जाने वाली कुल भूमि 1230 वर्ग मीटर को गै.मु. सिवायचक रास्ता मौके पर कायम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 91,95 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक 186 दिनांक 31.07.2025 तथा उसके साथ पटवारी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुंझुनू

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार नवलगढ जिला–झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 186 दिनांक 31.7.25

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ, जिला–झुंझुनूं।

Rev.
4.8.25

विषयः–मुकदमा नंबर **88 / 2025** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 (क)** उनवान प्रकरण **दुलीचंद बनाम अनिल** आदि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी के पत्रांक / राजस्व / तहरीर / 25 / 315 दिनांक 09.06.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुकदमा नंबर **88 / 2025** उनवानी प्रकरण **दुलीचंद बनाम अनिल** आदि में प्रश्नगत्त भूमि एवं रिकोर्ड की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट श्रीमानजी के आदेशिका की पालना में मौका रिपोर्ट **भू–अभिलेख निरीक्षक परसरामपुरा एवं पटवारी हल्का कोलसिया** से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की गई, प्राप्त रिपोर्ट मूल ही श्रीमानजी की सेवामें आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। ,

तहसीलदार नवलगढ

Rcd
[illegible]
27/06

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

विषय :- उनवानी प्रकरण दुलीचन्द बनाम अनिल मुकदमा नं. 44/25 251 (क) में तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- कार्यालय तहसीलदार नवलगढ़ आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/10 दिनांक 16/06/25 की पालना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम - नेहरो की ढाणी उनवानी प्रकरण दुलीचन्द बनाम अनिल मु. नं. 44/2025 अ. धारा 251 (क) में अंकित प्रार्थना पत्र की जाँच हेतु मौका देखा गया जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है।

① खातेदार को अपनी कृषि भूमी में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है।

② ख. स. 89 तथा 90 तक पहुँचने के लिए ख. स. (91) व (95) में से प्रस्तावित नजदीक रास्ता लगता है।

③ ख. स. (91) व (95) अंकित कु. महेश कुमार वि. [illegible] जाति जाट वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

[signature]
प. कोलसिया

[signature]
प. परसरामपुरा
27/06/2025

P.T.O.

खसरा नक्शा

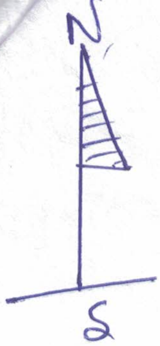

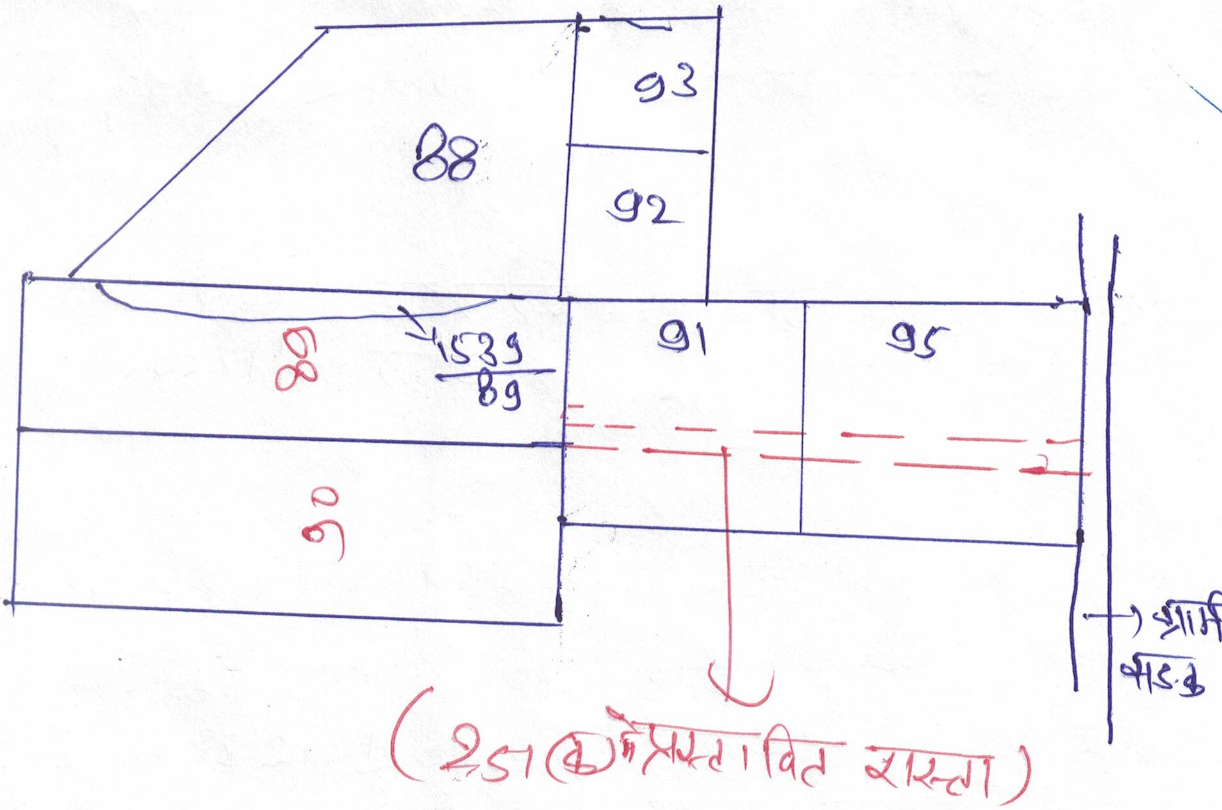

(4) ख० सं० (95) में बिन्दु □ (ABEF) का क्षे० ⇒ 160×5

= 800 वर्गमी

(0.08 हे०)

(5) ख० सं० (91) में बिन्दु □ (BCDE) का क्षे० = 86×5

⇒ 430 वर्गमी.

⇒ 0.0430 हे

रास्ते के रूप में जाने वाली कुल भूमी = 1230 वर्गमी (0.123060) है

प० कोलसिया   प्र० परसरामपुरा

उपरोक्त नजरी नक्से में दिखाए गए रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता नहीं है।

रिपोर्ट श्रीमान को सादर पेश है।

पं० लोलपसिया   पर परसरामपुरा

27/06/2025   27/06/2025

नक्शा - ट्रेस
ग्राम - नेहरो की ढाणी
तह. - नवलगढ़
जिला - झुंझुनू
सम्वत. - 1979-80

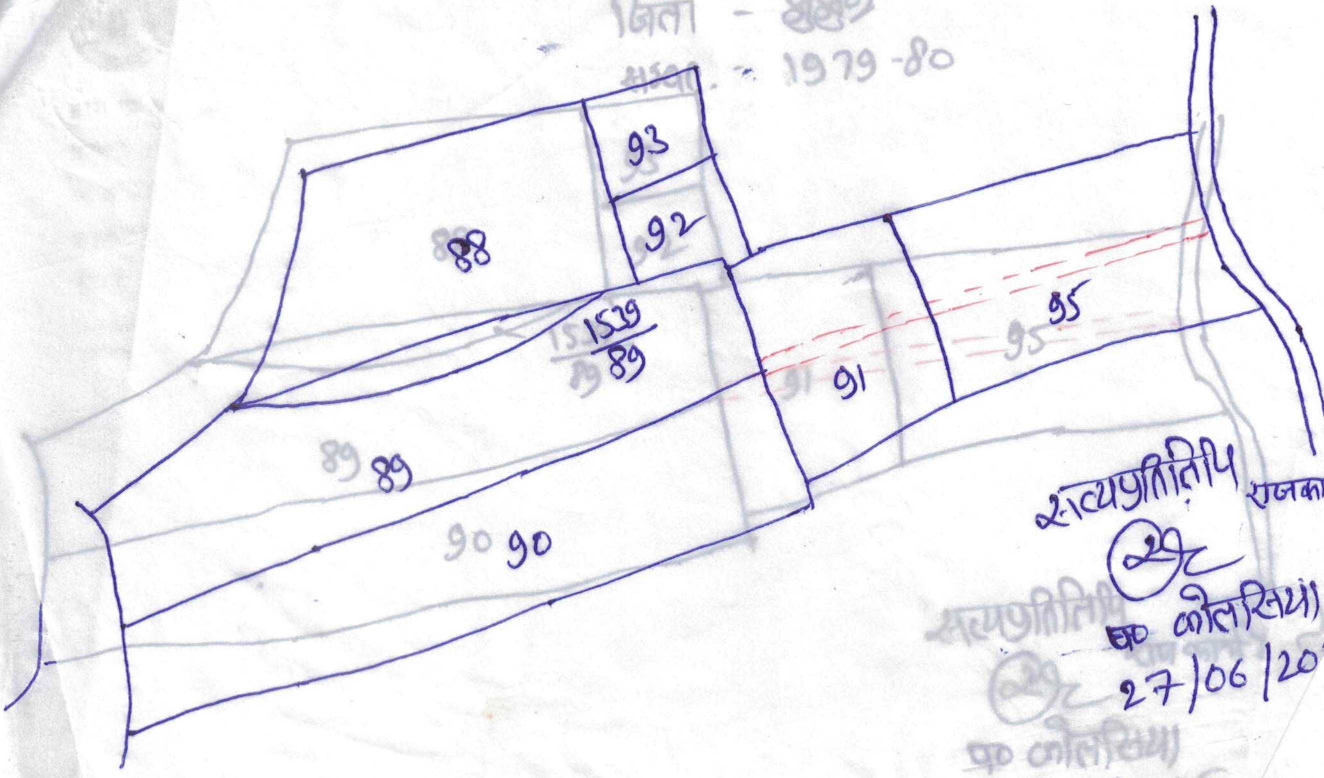

सत्यप्रतिलिपि राजकार्य हेतु
पट. कोलसिया
27/06/20